निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में **विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा** निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 **के नियम 93 में संशोधन किया** गया है, जिसके तहत निर्वाचन संबंधी कुछ दस्तावेज़ों तक जनता की पहुँच प्रतिबंधित कर दी गई है।

- **हाल ही के संशोधन:**
  - यह संशोधन, **जो नियम 93(2)(A)** के तहत पहले सभी चुनाव पत्रों के सार्वजनिक निरीक्षण की अनुमति प्रदान करता था, इसमें संशोधन **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** की सिफारिश के बाद किया गया है।
  - यह संशोधित नियम अब ढाँचे के अंतर्गत **सूचीबद्ध विशिष्ट दस्तावेज़ों तक पहुँच** को सीमित करता है।
- **संशोधन की पृष्ठभूमि:**
  - इसकी शुरुआत **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग** को हरियाणा विधानसभा चुनावों के **CCTV फुटेज** सहित सभी चुनाव संबंधी दस्तावेज़ साझा करने के निर्देश के बाद हुई है।
  - **निर्वाचन आयोग ने मतदाता की गोपनीयता और संवेदनशील** जानकारी के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है।
- **RTI कार्यकर्त्ताओं और विपक्षी दलों** का तर्क है कि यह संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया **पारदर्शिता और जवाबदेही** को प्रभावित करता है।
- **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961:**
  - यह **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिये विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है।
  - ये नियम **उम्मीदवारों के नामांकन, मतदान प्रक्रियाओं** आदि को कवर करते हैं, **मतदाता गोपनीयता और चुनावी अखंडता सुनिश्चित तथा निर्वाचन अधिकारियों** के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं।

और पढ़ें: निर्वाचनों का संचालन नियम का नियम 49

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-amends-conduct-of-election-rules,-1961